

राजस्थान सरकार
राजस्व शूप्रग्रुप-6 विभाग

क्रमांक:- प. ६४१३ राज-८/९९/१३

जयपुर, दिनांक:- १३.५.९९

-: अधिकारी :-

राजस्थान भू-राजस्व शूप्रग्रोजनार्थ आवंटन शून्यम, १९७० के नियम-७४२४ शूप्रग्रुप-6 के द्वितीय परन्तुक के अनुसरण में प्रदत्त प्रतिलिपि का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जनहित में यह आवश्यक समझती है एवं इस शूतद्वारा निर्देश देती है कि राज्य के समस्त जिलों द्वारा भूमि आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जाने संबंधी धोषणा की अवधि १५ दिन से कम करके ७ दिन किया जाता है।

यह अधिकारी दिनांक ०१ मई, १९९९ से ३१ जुलाई, १९९९ तक प्रभावी रहेगी।

राज्यपाल की आदेश,
~~संघर्ष दीक्षित~~
विशेषज्ञ शासन सचिव, राजस्व

राजस्थान सरकार
राजस्व शूप्रग्रुप-6 विभाग

क्रमांक:- प. ६४१३ राज-८/९९/१४

जयपुर, दिनांक:- १३.५.९९

-: अधिकारी :-

राजस्थान भू-राजस्व शूप्रग्रोजनार्थ आवंटन शून्यम, १९७० के नियम १३ के उपनियम ४४ के परन्तुक के अनुसरण में राज्य सरकार जनहित में यह आवश्यक समझती है एवं निर्देश देती है कि समस्त जिलों में आवंटन प्रयोजन के लिए आवंटन सलाहकार समिति की बैठक पंचायत मुख्यालय अथवा गिरवापर सर्किल मुख्यालय, जिरामें आवंटन द्वारा प्रस्तावित भूमि स्थित है, पर होगी।

यह अधिकारी मई ०१, १९९९ से ३१ जुलाई, १९९९ तक प्रभावी रहेगी।

राज्यपाल के आदेश से
~~संघर्ष दीक्षित~~
विशेषज्ञ शासन सचिव, राजस्व

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

१. छिंगी सचिव/मुख्यमंत्री/राजस्वमंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, राजस्व ।
२. समस्त संभागीय आधिकत, राजस्थान ।
३. समस्त जिला बोर्डर, राजस्थान ।
४. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
५. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मंदिरालय जयपुर को राजपत्र विभाग के दिनांक १३.५.९९
प्रे प्रकाशनार्थ ।
६. "राजिरा" राजस्व मण्डल, अजमेर ।
७. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
८. उप निबन्धक वृ पित्त सं लेखा वृ राजस्व मण्डल, अजमेर।
९. रीक्षत पत्रावली ।

१०१२

सहायक विधि प्राप्तकार

अनोन्य